कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001
दूरभाष स. 0294-2421255, 2420013, Helpline no. 0294-2426262 वेबसाइट- www.udaipurmc.org

क्रमांकः– राजस्व / 2025–26 / 828 दिनांकः– 22.9.2025

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना संख्या– 03 / 2025–26

दीपावली मेला वर्ष 2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, उदयपुर द्वारा दिनांक 09.10.2025 से 23.10.2025 तक नगर निगम टाउन हॉल परिसर उदयपुर मे दीपावली मेला आयोजित किया जा रहा है, आयोजन के दौरान अस्थाई स्टॉलो हेतु ग्राउण्ड / झूले व मनोरंजन उपकरण हेतु भूमि की अल्पकालीन ई–निविदा निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है :–

क्र. सं.	कार्य का विवरण	न्यूनतम प्रारम्भिक राशि	बोली प्रतिभूति राशि 05%	निविदा प्रपत्र शुल्क	MDRISL जयपुर प्रोसेसिगं फीस	निविदा की दिनांक व समय
1	निगम परिसर में अस्थायी झूले एवं मनोरंजन उपकरण लगाने का कार्य	1.06 करोड	5,30,000 / – रूपये	2360 / – मय GST	2000 / –	निविदा आरम्भ दिनांक 23.09.2025 समय प्रातः 10:00 बजे निविदा ऑनलाईन जमा कराने की अंतिम दिनांक 30.09.2025 समय दोपहर 12:00 बजे निविदा ऑनलाईन खोलने की दिनांक 01.10.2025 समय सायं 04:00 बजे
2	नगर निगम परिसर पीछे का ग्राउण्ड एवं दक्षिणी ग्राउण्ड पर अस्थायी स्टॉल लगाने का कार्य	1.46 करोड़	7,30,000 / – रूपये	2360 / – मय GST	2000 / –	

UBN No. UNP2526SLOB00092

अभिषेक खन्ना (IAS)
आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

तकनिकी बीड हेतु निविदा की शर्ते :–

1. निविदा की प्रक्रिया पूर्णतयाः ऑन–लाईन होगी किसी भी प्रकार के दस्तावेज भुगतान ऑफ लाईन स्वीकार नहीं किये जायेगें।
2. केवल निम्नांकित दस्तावेज / भुगतान करने वाले बिडर्स की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी। ये दस्तावेज / भुगतान अनिवार्य रूप से ऑन लाईन किये जाए जो निम्न है :–
   1. आधार कार्ड (एकल फर्म होने पर स्वयं का भागीदार होने पर समस्त भागीदारों का तथा कम्पनी या रजिस्टर्ड संस्था होने पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा।
   2. 100 / – के स्टाम्प पर निविदादाता को किसी भी सरकारी / स्वायत्तशासी संस्था से ब्लेक लिस्ट नहीं होने एवं क्रिमिनल रिकॉर्ड नही होने का शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न प्रारुप में अपलोड करना।
   3. निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने की सहमति स्वरुप निविदा का प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षर कर अपलोड करना।
   4. बोली प्रतिभूति राशि, निविदा प्रपत्र शुल्क एवं एम.डी.आर.आई.एस.एल. शुल्क निर्धारित दिनांक एवं समय तक निगम के खाते में NEFT/ RTGS के माध्यम से अनिवार्य रूप से जमा करवाने होंगे। NEFT/ RTGS निविदा में भाग लेने वाली फर्म के खाते से ही किये जायेगें, जिसकी रसीद निविदा के साथ संलग्न करनी होगी। संवेदक को सूचित किया जाता है कि उसके द्वारा किसी UPI जैसे :–

Signature valid
Digitally signed by Abhishek Khanna
Designation: Commissioner
Date: 2025.09.22 1?:41:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17918036

pradipJI_deepawali mela 2025_NITJhule

Google pay, PayTM, Phone Pay इत्यादि से राशि जमा कराने की प्रक्रिया को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा असफल बोलीदाता द्वारा निगम कोष में जमा करवाई गई बोली प्रतिभूति राशि दीपावली मेला सम्पन्न होने के पश्चात् 15 दिवस में लौटाई जावेगी।

5. बोली प्रतिभूति राशि, निविदा प्रपत्र शुल्क एवं एम.डी.आर.आई.एस.एल. शुल्क जमा कराने हेतु खाते का विवरण निम्नलिखित हैः–

Name OF A/c Holder	:	**Commissioner Nagar Nigam, Udaipur**
A/c No.	:	**693301700675**
IFSC Code	:	**ICIC0006933**
Bank Name	:	**ICICI Bank, Bapu Bajar, Bank Tiraha, Udaipur**

6. पेन कार्ड की प्रति
7. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन
8. Annexure 'A', Annexure 'B', Annexure 'C' एवं Annexure 'D' हस्ताक्षरित कर सलंग्न करने अनिवार्य होगें।
9. निविदादाता फर्म को मेला आयोजन संबंधित कार्य का विगत 5 वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2024–25 में सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थान से न्यूनतम 100.00 लाख रूपये के कम से कम एक कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव प्रमाण पत्र मय कार्यादेश निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

कार्य की शर्तें निविदा के साथ संलग्न हैं निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ व समझ लेंवे। उक्तानुसार बिन्दू सं.– 2 के अंतर्गत अंकित समस्त 9 बिन्दूओं की पूर्ति ऑनलाईन करने पर ही बिडर को प्रत्युत्तरदायी घोषित कर वित्तीय बिड खोली जाएगी।

3. सफलतम संवेदक द्वारा जमा कराई गयी बोली प्रतिभूति राशि कार्य सम्पादन प्रतिभुति के रूप में समायोजित कर दी जावेगी जिस का रिफण्ड मेला सम्पन्न होने सम्पूर्ण राशि जमा होने तथा निर्धारित तिथि पर भूमि खाली कर देने पर किया जाएगा।
4. बिड का समय चक्र निम्नानुसार होगा –

1. बिड प्रारंभ दिनांक	:	23.09.2025	प्रातः 10:00 बजे
2. अन्तिम तिथि व समय	:	30.09.2025	दोपहर 12:00 बजे
3. तकनिकी मूल्याकन, वित्तीय बिड खोला जाना व दर स्वीकृति आदेश जारी करना	:	01.10.2025	सायं 04:00 बजे
4. अनुबंध निष्पादन व स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत जमा कराना	:	03.10.2025	दोपहर 2.00 बजे तक
5. स्वीकृत राशि की शेष 50 प्रतिशत राशि जमा कराना	:	16.10.2025	दोपहर 1.00 बजे तक

बिडर को उक्त तालिका अनुसार ही राशि जमा करानी होगी। उक्त तालिका अनुसार राशि जमा नही होने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जा सकेगीः–

(1) अस्थाई भूमि आवंटन की स्वीकृति रदद करते हुए H2 बिडर को प्रस्ताव देकर आंवटन कर दिया जाएगा तथा राशि जमा न कराने वाले बिडर को अधिकतम 3 वर्ष के लिए निगम की निविदाओ मे भाग लेने से विवर्जित किया जा सकेगा व बोली प्रतिभूति तथा जमा राशि रिफण्ड नही की जाएगी। इस प्रकार के प्रकरणो पर आयुक्त व प्रशासक का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

(2) दिनांक 16.10.2025 तक स्वीकृत राशि की शेष 50 प्रतिशत राशि निगम कोष में जमा नहीं करवाने पर दिनांक 17.10.2025 से स्टॉल एवं झुलों का संचालन नहीं किया जा सकेगा।

5. निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फोर्मेट में वेबसाईट <u>www.eproc.rajasthan.gov.in</u> पर दिनांक 30.09.2025 को दोपहर 12:00 बजे तक जमा कराये जा सकते हैं।
6. किसी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार प्रशासक/आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर के पास सुरक्षित है।

Signature valid
Digitally signed by Abhishek Khanna
Designation: Commissioner
Date: 2025.09.22 1?:41:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17918036

अस्थायी झूले एवं मनोरंजन उपकरण लगाने के कार्य हेतु विशेष शर्तेः–

नगर निगम, उदयपुर द्वारा दीपावली मेला वर्ष 2025 दिनांक 09.10.2025 से 23.10.2025 तक आयोजित किया जायेगा। जिसमें निम्नलिखित शर्तों पर झूले एवं मनोरंजन उपकरण लगाने हेतु अस्थाई भूमि की स्वीकृति प्रदान की जायेगीः–

1. सफल स्वीकृत निविदादाता को विद्युत कनेक्शन स्वयं के स्तर पर करवाना होगा तथा विद्युत व्यय का वहन भी स्वयं को करना होगा।
2. बिडर को उद्धत की गयी दर पर 18 प्रतिशत दर से जी.एस.टी. अतिरिक्त रूप से Reverse Charge Machanism अन्तर्गत जमा कराना होगा। अन्य समस्त करों की जिम्मदारी बिडर की होगी तथा निविदादाता स्वयं के स्तर पर जमा कराएगा।
3. मेलें में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकृत निविदादाता का रहेगा। स्वीकृत निविदादाता को दुर्घटना बीमा स्वयं के स्तर पर करवाना होगा एवं बीमा पॉलिसी की प्रति राजस्व अधिकारी को कार्यक्रम प्रारम्भ होने से 24 घण्टे पूर्व उपलब्ध करानी होगी।
4. नगर निगम, उदयपुर द्वारा एक ही फर्म/व्यक्ति को झूले लगाने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। फर्म/व्यक्ति झूले व मनोरंजन उपकरण के अलावा अन्य किसी उद्देश्य हेतु किसी व्यक्ति को भूमि नहीं दे सकेगा।
5. सफल निविदादाता द्वारा आयोजन आरम्भ होने तक झूलें नही लगाने पर दूसरे उच्चतम निविदादाता, से नेगोशिएशन कर झूले लगवा दिये जायेंगे। जिस पर सफल निविदादाता कोई आपत्ति नहीं कर सकेगा, साथ ही ऐसे निविदादाता को अधिकतम 3 वर्ष के लिये ब्लेक लिस्टेड कर दिया जायेगा।
6. झूले एवं मनोरंजन उपकरण लगाने हेतु स्वीकृत स्थल पर किसी प्रकार की गंदगी नही हो इस हेतु सफल निविदादाता को नियमित रूप से साफ सफाई करवानी होगी।
7. बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रशासक/आयुक्त नगर निगम, उदयपुर का रहेगा।
8. सफल निविदादाता निगम के ओपन जिम में झूले नहीं लगायेगा, उक्त स्थान रिक्त रखना होगा। निर्धारित स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थल पर झूले व मनोरंजन उपकरण लगाकर अतिक्रमण नहीं कर सकेगा ऐसा पाये जाने पर इस हेतु जारी कार्यादेश निरस्त कर दिया जायेगा।
9. दिनांक 09.10.2025 से पूर्व झुले लगाने हेतु 2 कार्य दिवस का समय बिडर को अतिरिक्त रूप से दिया जावेगा जिसकी कोई राशि कार्यालय में जमा नहीं करवानी होगी।
10. सफल निविदादाता को आयोजन अवधि समाप्ति दिनांक 23.10.2025 के पश्चात् झूले एवं मनोरंजन उपकरण संचालन का कोई अधिकार नही होगा तथा दिनांक 25.10.2025 को रात्रि 12:00 बजे तक समस्त उपकरण आयोजन स्थल से हटाने होंगे। निर्धारित दिनांक 25.10.2025 के पश्चात् स्थान खाली नहीं करने पर प्रत्येक दिवस हेतु निविदा की दैनिक आनुपातिक राशि वसूल की जायेगी तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
11. प्रशासक एवं आयुक्त नगर निगम के निर्देशो की पालना करना आवश्यक होगा तथा किसी भी विवाद मे प्रशासक/आयुक्त नगर निगम का निर्णय अंतिम तथा सर्वमान्य होगा।
12. आयोजन अवधि में रात्रि को सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान रात्रि 9:00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक झूलें व मनोरंजन उपकरणों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज बंद रखनी होगी।
13. यदि प्रशासक/आयुक्त नगर निगम, उदयपुर द्वारा आयोजन अवधि कम या बढायी की जाती है, तो झूलों की राशि उसी अनुपात में अलग से जमा करवानी होगी।
14. सफल निविदादाता को उपरोक्त समस्त शर्तों की पूर्ण पालना करनी होगी तथा निविदा की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर संवेदक की पी.जी. राशि जब्त कर निगम की किसी भी निविदा में भाग लेने से 3 वर्ष के लिए विवर्जित कर दिया जावेगा।
15. निविदा स्वीकृति होने पश्चात् निविदादाता को स्वयं के खर्च पर अनुबंध करना होगा।
16. सफल निविदादाता से तात्पर्य ऐसे निविदादाता से है जो अधिकतम दर प्रस्तुत करता है तथा जिसकी दर निगम द्वारा अनुमोदित की जाती है।
17. निविदादाता को निविदा में संलग्न नक्शे अनुसार ही झुले लगाने की अनुमति होगी।
18. कार्य संपादन प्रतिभूति के रूप में कार्यादेश राशि की 5 प्रतिशत राशि अनुबंध के साथ जमा करवानी होगी।

Signature valid

Digitally signed by Abhishek Khanna
Designation: Commissioner
Date: 2025.09.22 18:41:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17918036

अस्थाई स्टॉल लगाने के कार्य हेतु विशेष शर्ते :–

दीपावली मेला दिनांक 09.10.2025 से 23.10.2025 तक आयोजित किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित शर्तो पर अस्थायी स्टॉल लगाने की स्वीकृति प्रदान की जायेगीः–

1. स्टॉलो हेतु अस्थाई भूमि जिस व्यक्ति को निविदा से आवंटित की गई है, उसी व्यक्ति को अपने खर्च पर अस्थायी स्टॉल लगवानी होगी तथा स्टॉल निगम द्वारा चिन्हित स्थान व लेआउट प्लॉन अनुसार ही लगानी होगी।
2. बिडर को उद्धत की गयी दर पर 18 प्रतिशत दर से जी.एस.टी. राशि अतिरिक्त रूप से Reverse Charge Machanism अन्तर्गत जमा करानी होगा। अन्य समस्त करों की जिम्मदारी बिडर की होगी तथा निविदादाता स्वयं के स्तर पर जमा कराएगा।
3. सफल स्वीकृत निविदादाता को विद्युत कनेक्शन स्वयं के स्तर पर करवाना होगा तथा विद्युत व्यय का वहन भी स्वयं को करना होगा।
4. स्टॉल पर व्यवसाय से संबंधित अनुज्ञा/लाईसेंस की आवश्यकता होने पर संबंधित विभाग से लाईसेंस/अनुज्ञा लेने की जिम्मेदारी निविदादाता की स्वयं की होगी।
5. स्टॉलों पर कचरा पात्र की व्यवस्था स्वंय करनी होगी तथा गन्दगी फैलाने पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जावेगी।
6. दुकानदार द्वारा पॉलीथीन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूर्ण रूप से निषेध रहेगा। उपयोग किये जाने पर दोषी के विरूद्ध जब्ती/जुर्माना लगाने की आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
7. दुकानदार द्वारा तम्बाकू के उत्पाद का विकय किया जाना एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग एवं विक्रय पूर्ण रूप से निषेध होगा।
8. स्टॉलो का बीमा करवाना अनिवार्य होगा तथा बीमा करवाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। दुर्घटना की स्थिति मे नगर निगम का कोई दायित्व नही होगा। जिसका कोई मुआवजा या क्षतिपूर्ति नहीं दिया जायेगा।
9. यदि आयुक्त/प्रशासक द्वारा आयोजन अवधि कम/बढायी जाती है तो स्टॉल की राशि उसी अनुपात मे अलग से जमा करवानी होगी।
10. दिनांक 09.10.2025 से पूर्व दुकाने लगाने हेतु 2 कार्य दिवस का समय बिडर को अतिरिक्त रूप से दिया जावेगा जिसकी कोई राशि कार्यालय में जमा नहीं करवानी होगी।
11. बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रशासक/आयुक्त नगर निगम का रहेगा।
12. निविदा स्वीकृति होने पश्चात् निविदादाता को स्वयं के खर्च पर अनुबंध करना होगा।
13. निविदादाता को निविदा में संलग्न नक्शे अनुसार उपलब्ध स्थान पर ही स्टॉल स्थापित करने होंगे।
14. सफल निविदादाता को आयोजन अवधि समाप्ति दिनांक 23.10.2025 के पश्चात् अस्थायी स्टॉल संचालन का कोई अधिकार नही होगा तथा दिनांक 25.10.2025 को रात्रि 12:00 बजे तक समस्त अस्थायी स्टॉल हटाने होगे। निर्धारित दिनांक 25.10.2025 के पश्चात् स्थान खाली नही करने पर प्रत्येक दिवस हेतु निविदा की दैनिक आनुपातिक राशि वसूल की जावेगी तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
15. जिन विषयों के संबंध में निविदा में कुछ भी नहीं कहा गया है उस हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 एवं पब्लिक वर्क एण्ड फाईनेन्स रूल्स ऑफ अपेनडिस्क (परिशिष्ट) XI लागु होंगें।
16. **बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि** :– दीपावली मेला वर्ष 2025 समारोह की समाप्ति दिनांक 23.10.2025 तक रहेगी।
17. **किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार** :– उपापन संस्था निविदा लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्त्व को उपगत किये बिना, किसी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने, और निविदा प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती हैं।
18. **निविदा लगाने वाले से ली गई निविदा प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में जब्त (ForFit) कर दी जाएगी, अर्थात्** :–
    - (क) जब निविदा लगाने वाला निविदा के खुलने के पश्चात् अपनी निविदा प्रत्याहत या उपान्तरित करता है।
    - (ख) जब निविदा लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।
    - (ग) जब निविदा लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है।

Signature valid

Digitally signed by Abhishek Khanna
Designation: Commissioner
Date: 2025.09.22 1?:41:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17918036

pradipJI_deepawali mela 2025_NITJhule

(घ) जब निविदा लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

(ड) यदि निविदा लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट निविदा लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

19. <u>करार का निष्पादन</u> :–

(1) कोई उपापनी संविदा ऐसी तारीख से प्रवृत होगी, जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र निविदा लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।

(2) सफल निविदा लगाने वाला, निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या जहा निविदा दस्तावेज में कोई कालावधि निविर्दिष्ट नहीं की गयी हो वहाँ उस तारीख से तीन दिवस के भीतर, जिस पर सफल निविदा लगाने वाले को स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है, उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) यदि निविदा लगाने वाला, जिसकी निविदा स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल निविदा लगाने वाले के विरुद्व अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कारवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो निविदा दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की निविदा लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

(4) निविदा लगाने वाले को उसके खर्चे पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करने के लिए कहा जायेगा।

20. <u>निविदा दस्तावजों में परिवर्तन</u> :–निविदा प्रस्तुत करने के लिए अंतिम समय –सीमा से पूर्व भी समय उपापन संस्था किसी कारण से चाहे स्वप्रेरणा पर या निविदा लगाने वाले के द्वारा स्पष्टीकरण के लिए किसी अनुरोध के परिणामस्वरुप धारा 24 के उपबंधों के अनुसार जारी करके निविदा दस्तावेजों को उपांतरित कर सकेगी।

21. कार्य संपादन प्रतिभूति के रूप में कार्यादेश राशि की 5 प्रतिशत राशि अनुबंध के साथ जमा करवानी होगी।

22. **Refund of P.G. –**

The Security Deposit will be release as per Rule

21. Additional Conditions of Contract Correction of arithmetical errors

(i) Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis:

(ii) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

(iii) If the Bidder that submitted the lowest evaluated bid does not accept the correction of errors, its bid shall be disqualified and its bid security shall be forfeited or its bid securing declaration shall be executed.

22. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रति निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

23. <u>जुर्माना</u> :–

(क) वितीय बोलियो के सुनने के पश्चात् उपापन प्रकिया से हटता है।

(ख) सफल निविदा लगाने वाला घोषित होने पश्चात् निविदा लगाने वाले दस्तावेज के निबंधनो में अपेक्षित कार्य संपादन प्रतिभूति या कोई अन्य दस्तावेज या प्रतिभूति उपलब्ध करवाने में वैद्य आधारो के बिना असफल रहता है तो वह निविदा लगाने वाले दस्तावेजो या सविदां में अविलम्ब के अतिरिक्त ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो उपापन के निर्धारित मूल्य के 10 प्रतिशत जो भी कम हो तक का हो सकेगा तथा विवर्जित (Debarred) किया जावेगा। फर्म को उस तारीख जिसको वह विवर्जित (Debarred) किया गया उससे निगम की उपापन प्रकिया में भाग लेने योग्य नही होगा।

24. <u>विलम्ब से प्राप्त बोलियां</u> :– बोलियां प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसी किसी भी बोली को प्राप्त नहीं करेगा जो बोलियां प्रस्तुतीकरण के लिये नियत समय और तारीख के पश्चात् व्यक्तिशः प्रस्तुत की गई हों। कोई भी बोली, जो बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिये अन्तिम समय सीमा के पश्चात् डाक द्वारा पहुंची हो, को "विलम्ब से प्राप्त" के रूप में चिह्नित और घोषित किया जाएगा और बिना खोले ही रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बोली लगाने वाले को लौटा दी जावेगी।

25. <u>किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार</u> :– उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्त्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया

Signature valid

Digitally signed by Abhishek Khanna
Designation: Commissioner
Date: 2025.09.22 1?:41:57 IST
Reason: Approved

को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती हैं।

26. बिना किसी कारण बताये सफल निविदाकर्ता की निविदा को स्वीकार/अस्वीकार/पूर्ण व आंशिक संशोधन करने का अधिकार आयुक्त एवं प्रशासक नगर निगम, उदयपुर के पास रहेगा।
27. जिन बिन्दुओं के संबंध में निविदा में कुछ नही कहा गया है उस हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 लागू होगे।
28. ठेकेदार के किसी व्यवहार व कृत्य की जिम्मेदारी नगर निगम की नही है एवं ठेकेदार द्वारा रखे गये किसी भी कर्मचारी के किसी व्यवहार व भुगतान के लिये नगर निगम उत्तरदायी नही है।
29. विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र उदयपुर होगा।

ई–टेन्डरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश :–

1. इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्र को इन्टरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड (Download) कर सकते है।
2. निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट–2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आएगा।
3. निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आव यकता नहीं है।
4. निविदादाओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाईट व डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होगें, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
5. ऑनलाईन निविदाऐं निर्धारित दिनांक एवं समय अनुसार खोली जाएगी।
6. इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्र को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेंवे की निविदा प्रपत्र में संबधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्र के साथ अटैच कर दी गई है।
7. कोई भी टेंडर इलेक्ट्रोनिकी जमा कराने में किसी भी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
8. टेंडर के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों/प्रपत्र को संपूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।
9. अन्य विवरण निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है।
10. निविदा की विधिमान्यता की कालावधि के अवसान के पूर्व, उपापन संस्था आपवादिक परिस्थितियों में बोली लगाने वालों से अतिरिक्त विनिर्दिष्ट समायावधि के लिए बोली की विधिमान्यता की कालावधि का विस्तार करने के लिए अनुरोध कर सकेगी। बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है और ऐसी अस्वीकृत बोली प्रत्याहरण के रूप में मानी जायेगी किन्तु ऐसी परिस्थितियों में बोली प्रतिभूमि समपहृत नहीं की जायेगी।

अभिषेक खन्ना (IAS)
आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Abhishek Khanna
Designation: Commissioner
Date: 2025.09.22 18:41:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17918036

pradipJI_deepawali mela 2025_NITJhule

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:-

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid anobligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurementprocess;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurementprocess;

(g) disclose conflict of interest, if any and

(h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws andregulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limitedto:

a. have controlling partners/ share holders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them;or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process;or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid;or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparationofthedesignortechnicalspecificationsoftheGoods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Signature valid
Digitally signed by Abhishek Khanna
Designation: Commissioner
Date: 2025.09.22 1?:41:57 IST
Reason: Approved

Annexure 'B'

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the ProcuringEntity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the BiddingDocument;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the fore going reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarmentproceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects faircompetition;

Date:

Place:

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:

Signature valid
Digitally signed by Abhishek Khanna
Designation: Commissioner
Date: 2025.09.22 1?:41:57 IST
Reason: Approved

Annexure 'C'

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ....

The designation and address of the Second Appellate Authority is.........................

....

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to beacceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of theappeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entityis aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case maybe.

(4) **Appeal not to lie in certaincases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters,namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bidprocess;
(c) the decision of whether or not to enter intonegotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

Signature valid

Digitally signed by Abhishek Khanna
Designation: Commissioner
Date: 2025.09.22 1?:41:57 IST
Reason: Approved

(5) **Form of Appeal**

An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorisedre presentative.

(6) **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authorityconcerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be,shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him;and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free ofcost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public ProcurementPortal.

Signature of Bidder with Stamp

Signature valid

Digitally signed by Abhishek Khanna
Designation: Commissioner
Date: 2025.09.22 1?:41:57 IST
Reason: Approved

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)

   (ii)

   (i)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to berepresented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with theappeal:

6. Grounds of appeal: ....
   ....
   .... (Supported by an affidavit)

7. Prayer: ....
   ....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Signature valid

Digitally signed by Abhishek Khanna
Designation : Commissioner
Date: 2025.09.22 1?:41:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17918036

pradipJI_deepawali mela 2025_NITJhule

Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmeticalerrors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall becorrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected;and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be for feited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. How- ever, when it is considered that the quantity of the subject matterof procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of Bidder with Stamp

Signature valid

Digitally signed by Abhishek Khanna
Designation: Commissioner
Date: 2025.09.22 1?:41:57 IST
Reason: Approved

Area Statement

Block	Location	Area	
		In Sq. M	In Sq. Ft.
Block - A	Front of Smart City Building	3494.45	37600
Block - B	South of UMC Building	409.84	4411
Block - C	South of UMC Building	1467.07	15791
Grand Total		5371.36	57802

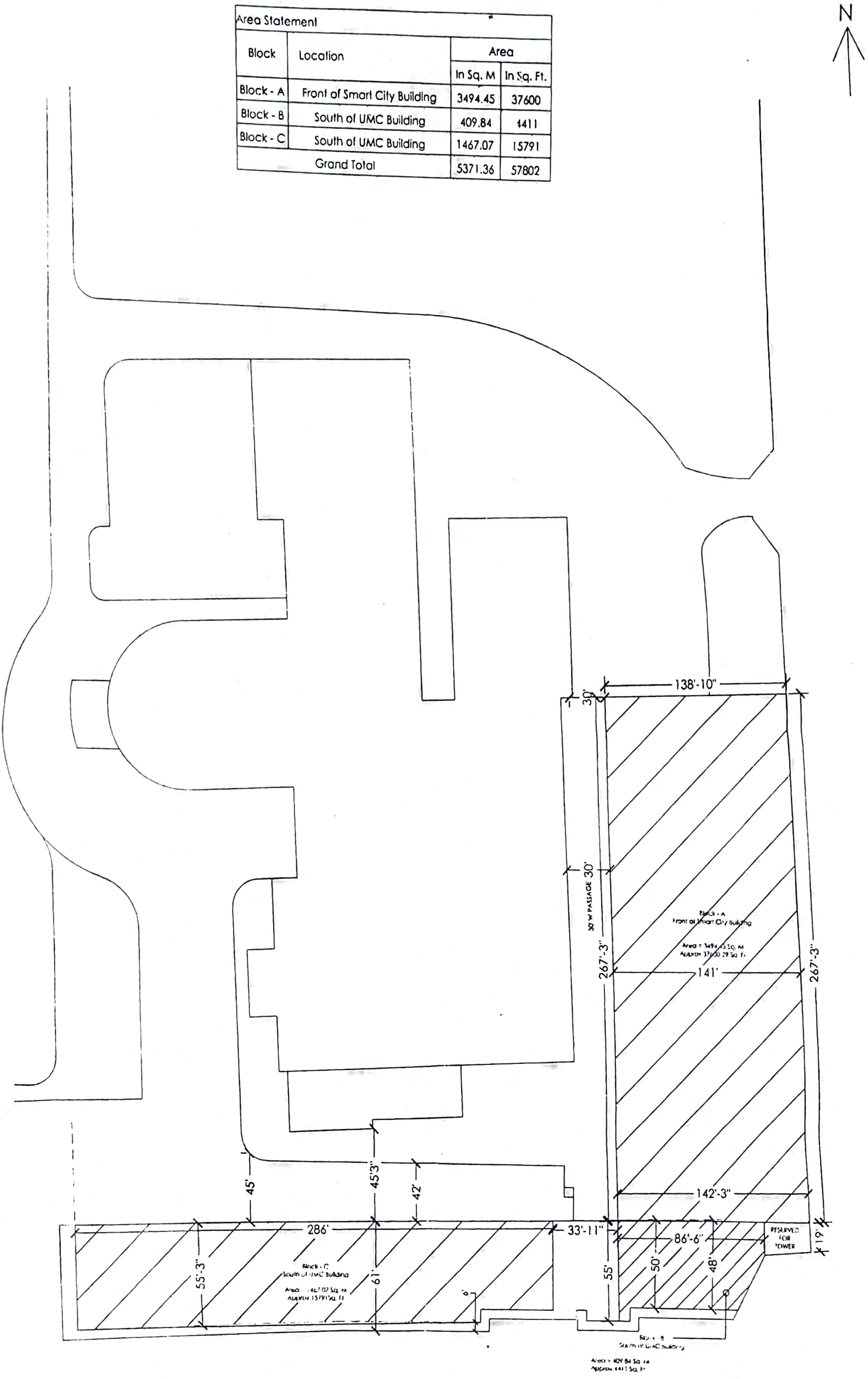

ग्राउंड हेतु प्रस्तावित नक्शा

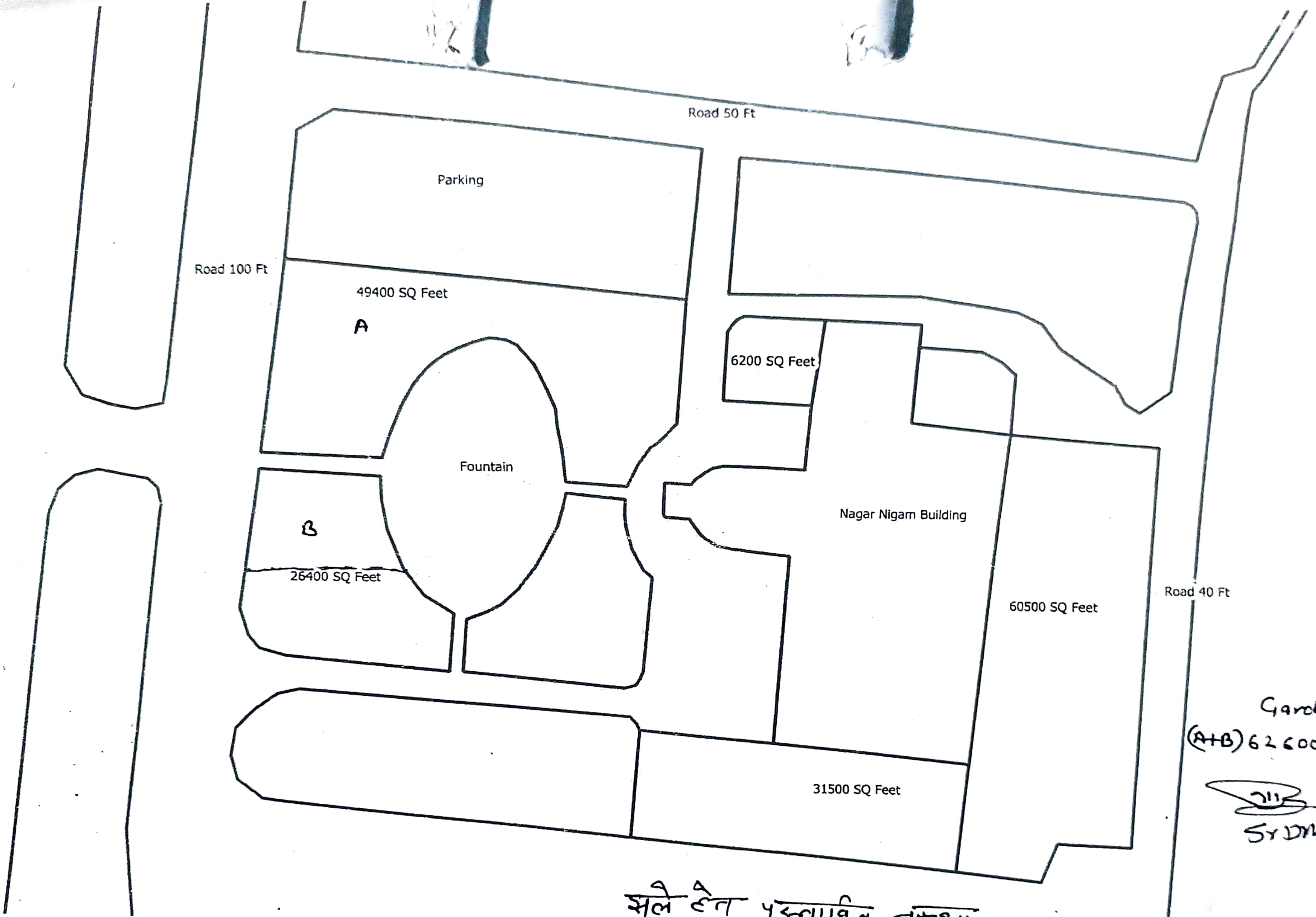

Garden
(A+B) 62600 SQ Ft

SrDM

झूले हेतु प्रस्तावित नक्शा।